भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4337

26 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण

4337. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण वितरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर बिहार के संबंध में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपात्र लाभार्थियों के लाभान्वित होने को कम करने और चोरी के किसी भी जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो विशेषकर बिहार के संबंध में तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ड) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से डिजिटलीकरण और आधार खाते से जोड़े जाने के पश्चात् राज्यवार विशेषकर बिहार में कितने राशन कार्ड समाप्त किए गए हैं;

(च) क्या लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों में ईपीओएस उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर बिहार के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सभी उचित मूल्य की दुकानों को ईपीओएस कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रौद्योगिकी सुधारों के भाग के रूप में, सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (बिहार सहित) में वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, देश भर में (बिहार सहित) लगभग 75.69% पीडीएस लाभार्थियों का ईकेवाईसी पूरा हो चुका है। इस विभाग ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से ईकेवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है। पीडीएस लाभार्थियों का राज्यवार ईकेवाईसी दिखाने वाला विवरण **अनुबंध-II** में है।

....2/-

(ङ): वर्ष 2013 से टीपीडीएस संचालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप, अर्थात राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लिकेट की पहचान, अयोग्य रिकॉर्ड, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवास आदि के परिणामस्वरूप सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र (बिहार सहित) वर्ष 2013 से 2025 (आज तक) के बीच लगभग 5.87 करोड़ राशन कार्ड समाप्त करने में सक्षम हुए हैं, ताकि सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। हटाए गए राशन कार्डों को दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(च) और (छ): देश में लगभग 99.65% उचित दर दुकानों (बिहार में 100% सहित) में लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके से (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) खाद्यान्नों के वितरण के लिए ईपीओएस डिवाइस स्थापित हैं। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4337 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्डों का डिजिटलीकरण	राशन कार्डों की % सीडिंग	खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण	टोल फ्री/ऑनलाइन शिकायत निवारण	कुल उचित दर दुकानें	ईपीओएस उपकरणों के साथ परिचालन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	416	416
2	आंध्र प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	29,791	29,791
3	अरुणाचल प्रदेश	100%	81%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	1,680	1,680
4	असम	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	34,300	34,286
5	बिहार	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	50,951	50,951
6	चंडीगढ़	100%	100%	लागू नहीं है	लागू नहीं है	हाँ	NA	NA
7	छत्तीसगढ	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	13,675	13,675
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	114	114
9	दिल्ली	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	1,993	1,993
10	गोवा	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	452	452
11	गुजरात	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	16,949	16,949
12	हरयाणा	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	9,434	9,434
13	हिमाचल प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	5,219	5,155
14	जम्मू और कश्मीर	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	6,737	6,737
15	झारखंड	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	25,228	25,228
16	कर्नाटक	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	20,403	20,325
17	केरल	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	13,913	13,905
18	लद्दाख	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	404	404
19	लक्षद्वीप	100%	100%	कार्यान्वित	लागू नहीं है	हाँ	39	39
20	मध्य प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	27,377	27,127
21	महाराष्ट्र	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	52,642	52,642
22	मणिपुर	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	2,339	2,339
23	मेघालय	100%	75%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	4,735	4,727
24	मिजोरम	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	1,258	1,258
25	नगालैंड	100%	98%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	1,783	1,774
26	ओडिशा	100%	99%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	12,044	12,044
27	पुदुचेरी	100%	100%	लागू नहीं है	लागू नहीं है	हाँ	लागू नहीं है	लागू नहीं है
28	पंजाब	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	18,150	18,150
29	राजस्थान	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	27,062	25,579
30	सिक्किम	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	1,312	1,312
31	तमिलनाडु	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	34,805	34,805
32	तेलंगाना	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	17,246	17,246
33	त्रिपुरा	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	2,057	2,057
34	उत्तराखंड	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	9,059	9,059
35	उत्तर प्रदेश	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	79,216	79,216
36	पश्चिम बंगाल	100%	100%	कार्यान्वित	कार्यान्वित	हाँ	20,476	20,476
	राष्ट्रीय सारांश	100%	**99.3%**	**34**	**31**	हाँ	**5,43,259**	**5,41,345**

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4337 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

ई-केवाईसी की स्थिति

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएफएसए के तहत राशन कार्डो (आरसी) की संख्या	एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या	एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या जिनका ई-केवाईसी पूरा हो चुका है
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,209	59,370	56,443
2	आंध्र प्रदेश	89,68,108	2,68,30,832	2,40,10,056
3	असम	70,68,967	2,45,69,595	2,02,42,935
4	अरुणाचल प्रदेश	1,86,417	8,51,047	2,42,302
5	बिहार	2,02,71,221	8,26,67,550	6,13,42,663
6	चंडीगढ़ (डीबीटी)	84,760	3,55,539	2,25,049
7	छतीसगढ	55,74,782	1,99,05,026	1,74,45,466
8	दिल्ली	17,41,289	72,77,995	4,80,000
9	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	58,922	2,71,484	1,95,529
10	हरयाणा	51,86,161	1,96,72,148	91,67,789
11	हिमाचल प्रदेश	7,33,214	27,15,886	26,67,190
12	गोवा	1,25,533	4,64,346	3,32,106
13	गुजरात	79,04,536	3,82,36,052	2,86,07,859
14	जम्मू एवं कश्मीर	16,62,744	66,84,718	58,15,664
15	झारखंड	61,02,871	2,63,85,412	1,72,05,582
16	कर्नाटक	1,10,95,965	4,01,93,017	3,94,89,572
17	केरल	41,67,878	1,43,75,516	1,35,26,099
18	लद्दाख	29,014	1,14,532	1,13,494
19	लक्षद्वीप	4,645	20,295	16,552
20	मध्य प्रदेश	1,31,40,374	5,48,97,059	3,96,37,935
21	महाराष्ट्र	1,66,11,899	6,85,68,782	2,70,21,442
22	मणिपुर	5,79,234	21,04,802	17,64,138
23	मेघालय	4,21,872	21,45,105	1,63,756
24	मिजोरम	1,78,008	7,00,210	2,61,923
25	नगालैंड	3,43,836	12,26,235	8,19,123
26	पुडुचेरी (डीबीटी)	2,06,210	6,97,547	-
27	राजस्थान	1,06,21,616	4,39,51,548	3,88,59,259
28	सिक्किम	97,030	3,84,514	2,58,530
29	तमिलनाडु	1,13,80,559	3,56,13,669	2,81,42,824
30	तेलंगाना	54,66,870	1,91,69,600	1,68,15,093
31	त्रिपुरा	6,08,583	24,22,950	16,82,367
32	पंजाब	40,26,855	1,54,80,801	1,15,46,130
33	ओडिशा	96,16,556	3,25,52,979	2,97,78,230
34	उत्तराखंड	13,97,689	60,80,620	25,20,196
35	उत्तर प्रदेश	3,57,54,702	14,94,31,025	11,37,25,591
36	पश्चिम बंगाल	1,39,13,969	6,01,70,819	5,68,46,398
	कुल	**20,53,50,098**	**80,72,48,625**	**61,10,25,285**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 26.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4337 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

2013 से 2025 तक (आज तक) हटाए गए राशन कार्डों का विवरण

क्र. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	आंध्र प्रदेश	43,68,125
2	अंडमान और निकोबार	2,142
3	अरुणाचल प्रदेश	21,040
4	असम	4,08,011
5	बिहार	13,81,584
6	चंडीगढ़	3,063
7	छत्तीसगढ	15,16,532
8	डीएनएच और दमन एवं दीव	15,027
9	दिल्ली	3,27,297
10	गोवा	1,74,496
11	गुजरात	8,15,734
12	हरयाणा	15,21,067
13	हिमाचल प्रदेश	79,569
14	जम्मू और कश्मीर	1,27,872
15	झारखंड	11,26,620
16	कर्नाटक	31,32,421
17	केरल	2,46,791
18	लद्दाख	702
19	लक्षद्वीप	1,568
20	मध्य प्रदेश	25,17,627
21	महाराष्ट्र	46,12,756
22	मणिपुर	95,245
23	मेघालय	15,123
24	मिजोरम	12,578
25	नगालैंड	51,952
26	ओडिशा	7,81,573
27	पुदुचेरी	1,09,306
28	पंजाब	7,59,558
29	राजस्थान	25,58,261
30	सिक्किम	29,278
31	तमिलनाडु	7,89,063
32	तेलंगाना	22,33,749
33	त्रिपुरा	2,00,665
34	उत्तर प्रदेश	1,93,54,572
35	उत्तराखंड	7,72,367
36	पश्चिम बंगाल	85,59,560
	कुल योग	5,87,22,894

*****